



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-1781/UP/1/2024-APCR

दिनांक :22.10.2025

सेवा मे

श्री वैभव जोशी,
हाल नं. 12, विनय पार्क मोदी नगर,
जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
मोबाइल नं.: 9582415412

विषय: प्रार्थी श्री वैभव जोशी तथा उनके कर्मचारियों के साथ जातिसूचक गालीगलौज -, मार पीट-, जान से मारने, अवैध वसूली तथा व्यवसाय न करने देने की धमकी दिये जाने की शिकायत हेतु।
महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **31.10.2025 समय 15.40 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय
Chetan Kumar Sharma
22.10.2025

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ MC for uploading